



मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
गोरखपुर-273010 (उ०प्र०)  
नीलामी-सूचना

नीलामी निविदा सं०-मा०प्रौ०वि/उद्यान-सी०डी०सी०-नीलामी/152/2024 दिनांक: 12 जुलाई, 2024

विश्वविद्यालय के परिसर प्रकोष्ठ/उद्यान अनुभाग के चार्ज वाले विभिन्न प्रजाति के 25 सूखे गिरे वृक्षों के 171 बोटो तथा शीशम के सूखे गिरे 03 वृक्षों के 31 बोटों की खुली नीलामी कार्या० प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर के पत्रांक: 1664/37-1, पत्रांक: 1052/37-1 तथा पत्रांक: 3915/37-1 द्वारा प्रदान की गई अनुमति के अधीन विश्वविद्यालय की निष्प्रयोज्य एवं स्क्रेप समिति की देखरेख में दिनांक: 30, जुलाई, 2024 को पूर्वाह्न 11 बजे ओल्ड प्रशासनिक भवन के लान में निर्धारित है। उक्त नीलामी में बोली लगाने एवं प्रतिभाग करने वाले इच्छुक बिडर्स रु० 5,000/- प्रति निविदा पुस्तिका की दर पर वित्त नियंत्रक कार्यालय से दिनांक: 29, जुलाई, 2024 के पूर्व तक निविदा पुस्तिका का क्रय करके नीलामी में प्रतिभाग कर सकते हैं।

उक्त नीलामी से संबंधित विस्तृत नियम एवं शर्तें एवं अन्य विवरण [www.mmmut.ac.in](http://www.mmmut.ac.in) पर अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं।

कुलसचिव



मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर-273010

टेण्डर सं०:-मा०प्रौ०वि०/उद्यान-सी०डी०सी०-नीलामी / 152 / 2024

दिनांक: 12-07-24

विषय: सी०डी०सी०/उद्यान अनुभाग के चार्ज में विभिन्न प्रजाति के 25 सूखे/गिरे वृक्षों के 171 बोटो (संलग्न परिशिष्ट-1-A) तथा 03 शीशम के वृक्षों के 31 बोटों (संलग्न परिशिष्ट-1-B) जिनकी खुली नीलामी की अनुमति कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर के पत्रांक: 1664/37-1 दिनांक: 01 अक्टूबर, 2021 पत्रांक: 1052/37-1 दिनांक : 01 सितम्बर, 2021 तथा पत्रांक: 3915/37-1 दिनांक: 02 मार्च, 2023 द्वारा प्रदान कर दी गई है, की खुली नीलामी "जहाँ है, जैसा है/As is, where is" के आधार पर विश्वविद्यालय के निष्प्रयोज्य समिति/स्कैप मूल्यांकन समिति की देख-रेख में किये जाने विषयक ।

संलग्नक:

परिशिष्ट-1 सूखे, गिरे, पडे वृक्षों के विभिन्न साइज के बोटों के विवरण (B.O.Q.) के शिडयूल स०-1-A एवं 1-B  
परिशिष्ट-2 नीलामी-प्रपत्र के विवरण, नियम एवं शर्तें ।

परिशिष्ट-3 परिशिष्ट-1 के (B.O.Q.) शिडयूल स०-1-A एवं 1-B हेतु समग्र एवं एकीकृत रूप से बोली स्थल पर नीलामी वाले दिन दिनांक ~~30-7-24~~ को पूर्वाहन 11:35 पर बोलीकर्ता/ बिडर द्वारा भरा जाने वाला फार्म/ नीलामी मूल्य-पत्र/ बोली के विवरण/फार्म-3

परिशिष्ट-4 परिशिष्ट-1 के (B.O.Q.) शिडयूल स०-1-A एवं 1-B के अंतर्गत सी०डी०सी०/उद्यान अनुभाग के चार्ज वाले सूखे, गिरे एवं पडे वृक्षों के बोटो (कुल बोटो की संख्या-शिडयूल स०-1-A-171 बोटे + शिडयूल स०-1-B-31बोटे = कुल-202 बोटे) के लाट के अंतर्गत प्राप्त एक मुश्त एवं सर्वाधिक अधिकतम बोली के सापेक्ष निष्प्रयोज्य समिति/स्कैप मूल्यांकन समिति द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र/उद्घोषणा पत्र/संस्तुति/फार्म-4/ Letter of Intent.

  
कुलप्रमुख

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर-273010

टेण्डर सं०:-मा०प्रौ०वि०/उद्यान-सी०डी०सी०-नीलामी/152/2024

दिनांक:12-07-24

विषय: सी०डी०सी०/उद्यान अनुभाग के चार्ज में विभिन्न प्रजाति के 25 सूखे/गिरे वृक्षों के 171 बोटो (संलग्न परिशिष्ट-1-A) तथा 03 शीशम के वृक्षों के 31 बोटों (संलग्न परिशिष्ट-1-B) जिनकी खुली नीलामी की अनुमति कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर के पत्रांक: 1664/37-1 दिनांक: 01 अक्टूबर, 2021 पत्रांक: 1052/37-1 दिनांक : 01 सितम्बर, 2021 तथा पत्रांक: 3915/37-1 दिनांक: 02 मार्च, 2023 द्वारा प्रदान कर दी गई है, की खुली नीलामी "जहाँ है, जैसा है/As is, where is" के आधार पर विश्वविद्यालय के निष्प्रयोज्य समिति/स्कैप मूल्यांकन समिति की देख-रेख में किये जाने विषयक।

निविदा - प्रपत्र पुस्तिका का मूल्य रु 5,000 (पांच हजार रुपये मात्र) प्रति प्रतिभागी/बिडर (+GST अतिरिक्त)

निविदा - प्रपत्र पुस्तिका खरीदने का स्थान: वित्त अनुभाग, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भूमितल, नवीन प्रशासनिक भवन, गोरखपुर, उ०प्र०

निविदा - प्रपत्र पुस्तिका खरीदने की अन्तिम तिथि: 29-7-2024

संलग्नक परिशिष्ट-1 के शिड्यूल स०-1-A एवं 1-B को स्थलीय निरीक्षण करने की अन्तिम तिथि 29-7-24 समय 4:50 तक

स्थलीय खुली नीलामी बोली लगाने की तिथि 30-7-2024 11:00 बजे से प्रारम्भ होगी।

बोली लगाने का स्थान: ओल्ड प्रशासनिक भवन स्थित सरस्वती लॉन, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उ०प्र०

क्र०सं०	शिड्यूल स०/छायाप्रति : (परिशिष्ट-1)	नीलामी का आरक्षित न्यूनतम मूल्य रूपयों में/अधिकतम मूल्य बोली के आधार पर निर्धारण होगा।
1.	शिड्यूल स०-01-A	रु 79,661.00 (उन्चासी हजार छ सौ इकसठ रु मात्र) (कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर के पत्रांक : 1664/37-1 दिनांक: 01 अक्टूबर, 2021 पत्रांक: 1052/37-1 दिनांक : 01 सितम्बर, 2021 द्वारा विश्वविद्यालय के कुल 25 सागौन, सेमर एवं बोटल पाम के कुल 171 विविध साइजों के बोटो का न्यूनतम नीलामी मूल्य निर्धारण किया गया है, परन्तु उक्त की खुली स्थलीय नीलामी के अंतर्गत उद्धृत अधिकतम नीलामी मूल्य पर की जायेगी)
2.	शिड्यूल स०-01-B	रु 34,119.00 (चौतिस हजार एक सौ उन्नीस रु मात्र) कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर के पत्रांक: 3915/37-1 दिनांक: 02 मार्च, 2023 द्वारा विश्वविद्यालय के कुल 03 शीशम के वृक्षों के कुल 31 विविध साइजों के बोटो का न्यूनतम नीलामी मूल्य निर्धारण किया गया

2

		है, परन्तु उक्त की खुली स्थलीय नीलामी के अंतर्गत उक्त अधिकतम नीलामी मूल्य पर की जायेगी)
--	--	--

कुल न्यूनतम आरक्षित (Reserved) मूल्य—रु1,13,780.00 (एक लाख तेरह हजार सात सौ अस्सी रु मात्र)

  
कुल सचिव 08



परिशिष्ट-१

( रिश्तल सं. - ०१-A )

## Bill of Quantity (BOQ)

क्र०सं०	बोटो की संख्या	बोटो की लम्बाई (फुट एवं इंच में)	बोटो की मोटाई एवं गोलाई (फीट एवं इंच में)	लकड़ी की प्रजाति
01	1	07 फुट	03 फीट	सागौन
02	2	07 फुट	01 फीट 3 इंच	सागौन
03	3	07 फुट	02 फीट	सागौन
04	4	07 फुट	02 फीट	सागौन
05	5	07 फुट	01 फीट 6 इंच	सागौन
06	6	07 फुट	01 फीट 8 इंच	सागौन
07	7	07 फुट	02 फीट	सागौन
08	8	07 फुट	02 फीट	सागौन
09	9	06 फुट	01 फीट	सागौन
10	10	07 फुट	01 फीट 6 इंच	सागौन
11	11	07 फुट	02 फीट	सागौन
12	12	07 फुट	03 फीट	सागौन
13	13	05 फुट	02 फीट 3 इंच	सागौन
14	14	05 फुट	02 फीट 4 इंच	सागौन
15	15	06 फुट	01 फीट	सागौन
16	16	05 फुट	02 फीट	सागौन
17	17	05 फुट	02 फीट	सागौन
18	18	04 फुट	01 फीट 2 इंच	सागौन
19	19	05 फुट	01 फीट	सागौन
20	20	06 फुट	010 इंच	सागौन
21	21	04 फुट	02 फीट 6 इंच	सागौन
22	22	07 फुट	02 फीट 4 इंच	सागौन
23	23	04 फुट	01 फीट 8 इंच	सागौन
24	24	04 फुट	01 फीट 6 इंच	सागौन
25	25	06 फुट	03 फीट	सागौन
26	26	05 फुट	03 फीट 3 इंच	सागौन
27	27	07 फुट	04 फीट	सागौन
28	28	05 फुट	01 फीट 5 इंच	सागौन
29	29	07 फुट	01 फीट	सागौन
30	30	07 फुट	03 फीट 6 इंच	सागौन
31	31	07 फुट	03 फीट	सागौन
32	32	04 फुट	01 फीट 6 इंच	सागौन
33	33	07 फुट	02 फीट 6 इंच	सागौन
34	34	07 फुट	02 फीट 7 इंच	सागौन
35	35	04 फुट	02 फीट	सागौन
36	36	07 फुट	05 फीट	सागौन
37	37	04 फुट	04 फीट	सागौन
38	38	05 फुट	02 फीट 5 इंच	सागौन
39	39	03 फुट 6 इंच	03 फीट 6 इंच	सागौन
40	40	04 फुट	03 फीट	सागौन
41	41	04 फुट	01 फीट 5 इंच	सागौन

42	42	04 फुट	02 फीट 3 इंच	सागौन
43	43	03 फुट 9 इंच	02 फीट 5 इंच	सागौन
44	44	05 फुट	02 फीट	सागौन
45	45	05 फुट	01 फीट 6 इंच	सागौन
46	46	07 फुट	01 फीट 7 इंच	सागौन
47	47	07 फुट	01 फीट 8 इंच	सागौन
48	48	06 फुट	01 फीट	सागौन
49	49	03 फुट	02 फीट	सागौन
50	50	05 फुट 6 इंच	01 फीट 3 इंच	सागौन
51	51	04 फुट 6 इंच	02 फीट	सागौन
52	52	04 फुट	02 फीट 3 इंच	सागौन
53	53	05 फुट	02 फीट	सागौन
54	54	08 फुट	01 फीट 3 इंच	सागौन
55	55	04 फुट	01 फीट 8 इंच	सागौन
56	56	07 फुट	01 फीट 2 इंच	सागौन
57	57	07 फुट	02 फीट 6 इंच	सागौन
58	58	07 फुट	03 फीट 6 इंच	सागौन
59	59	07 फुट	02 फीट 10 इंच	सागौन
60	60	07 फुट	03 फीट	सागौन
61	61	07 फुट	02 फीट	सागौन
62	62	04 फुट	01 फीट	सागौन
63	63	05 फुट	03 फीट	सागौन
64	64	08 फुट	02 फीट 8 इंच	सागौन
65	65	07 फुट	02 फीट 4 इंच	सागौन
66	66	05 फुट	01 फीट	सागौन
67	67	07 फुट	03 फीट 3 इंच	सागौन
68	68	06 फुट	01 फीट 5 इंच	सागौन
69	69	05 फुट	03 फीट 3 इंच	सागौन
70	70	08 फुट	04 फीट	सागौन
71	71	07 फुट 06 इंच	04 फीट	सागौन
72	72	07 फुट	03 फीट	सागौन
73	73	06 फुट	01 फीट 6 इंच	सागौन
74	74	07 फुट	03 फीट	सागौन
75	75	06 फुट	02 फीट 4 इंच	सागौन
76	76	08 फुट	01 फीट 3 इंच	सागौन
77	77	06 फुट	02 फीट	सागौन
78	78	06 फुट	02 फीट 8 इंच	सागौन
79	79	07 फुट	04 फीट	सागौन
80	80	12 फुट	01 फीट 6 इंच	सागौन
81	81	04 फुट	03 फीट	सागौन
82	82	05 फुट 6 इंच	02 फीट	सागौन
83	83	05 फुट	02 फीट	सागौन
84	84	04 फुट	03 फीट 6 इंच	सागौन
85	85	05 फुट	02 फीट	सागौन
86	86	04 फुट	04 फीट	सागौन

87	87	06 फुट	03 फीट	सागौन
88	88	10 फुट 9 इंच	02 फीट 9 इंच	सागौन
89	89	08 फुट	02 फीट 2 इंच	सागौन
90	90	08 फुट	02 फीट 10 इंच	सागौन
91	91	07 फुट	02 फीट 9 इंच	सागौन
92	92	07 फुट 5 इंच	02 फुट 3 इंच	सागौन
93	93	08 फुट	02 फीट 5 इंच	सागौन
94	94	08 फुट	02 फीट 8 इंच	सागौन
95	95	05 फुट	02 फीट 8 इंच	सागौन
96	96	08 फुट	03 फीट 2 इंच	सागौन
97	97	08 फुट	03 फीट 9 इंच	सागौन
98	98	05 फुट	02 फीट	सागौन
99	99	03 फुट 6 इंच	02 फीट	सागौन
100	100	04 फुट	07 फीट	सेमर
101	101	04 फुट	02 फीट 4 इंच	सेमर
102	102	07 फुट	02 फीट 4 इंच	सेमर
103	103	06 फुट	02 फीट 3 इंच	सेमर
104	104	07 फुट	03 फीट	सेमर
105	105	12 फुट	01 फीट 4 इंच	सेमर
106	106	12 फुट	03 फीट	सेमर
107	107	07 फुट	04 फीट	सेमर
108	108	06 फुट	04 फीट	सेमर
109	109	05 फुट	03 फीट	सेमर
110	110	05 फुट	03 फीट	सेमर
111	111	08 फुट	08 फीट	सेमर
112	112	07 फुट	08 फीट 6 इंच	सेमर
113	113	09 फुट	09 फीट	सेमर
114	114	06 फुट	01 फीट 10 इंच	सेमर
115	115	06 फुट	02 फीट	सेमर
116	116	05 फुट	02 फीट	सेमर
117	117	07 फुट	02 फीट 6 इंच	सेमर
118	118	06 फुट	02 फीट	सेमर
119	119	05 फुट	01 फीट 6 इंच	सेमर
120	120	08 फुट	13 फीट	सेमर
121	121	05 फुट	02 फीट	सेमर
122	122	05 फुट	05 फीट	सेमर
123	123	03 फुट 6 इंच	02 फीट	सेमर
124	124	06 फुट	03 फीट	सेमर
125	125	07 फुट	04 फीट	सेमर
126	126	07 फुट	05 फीट 6 इंच	सेमर
127	127	05 फुट	02 फीट 8 इंच	सेमर
128	128	04 फुट	02 फीट 4 इंच	सेमर
129	129	04 फुट 5 इंच	02 फीट 9 इंच	सेमर
130	130	05 फुट	02 फीट 4 इंच	सेमर
131	131	07 फुट	05 फीट 10 इंच	सेमर



132	132	05 फुट	02 फीट 6 इंच	सेमर
133	133	06 फुट	02 फीट	सेमर
134	134	07 फुट	07 फीट	सेमर
135	135	05 फुट	07 फीट	सेमर
136	136	05 फुट	02 फीट	सेमर
137	137	08 फुट	08 फीट 2 इंच	सेमर
138	138	07 फुट	06 फीट 6 इंच	सेमर
139	139	06 फुट	06 फीट 6 इंच	सेमर
140	140	05 फुट	02 फीट	सेमर
141	141	10 फुट	02 फीट	सेमर
142	142	03 फुट	-03 फीट	सेमर
143	143	06 फुट	02 फीट	सेमर
144	144	07 फुट	02 फीट 6 इंच	सेमर
145	145	04 फुट 4 इंच	02 फीट 5 इंच	सेमर
146	146	06 फुट	02 फीट 8 इंच	सेमर
147	147	07 फुट	05 फीट 5 इंच	सेमर
148	148	07 फुट	05 फीट	सेमर
149	149	05 फुट	05 फीट	सेमर
150	150	08 फुट	06 फीट 8 इंच	सेमर
151	151	08 फुट	05 फीट	सेमर
152	152	05 फुट	06 फीट	सेमर
153	153	08 फुट	05 फीट 5 इंच	सेमर
154	154	04 फुट	02 फीट	सेमर
155	155	06 फुट	03 फीट 11 इंच	सेमर
156	156	08 फुट	05 फीट 9 इंच	सेमर
157	157	04 फुट	04 फीट 5 इंच	सेमर
158	158	06 फुट 9 इंच	02 फीट 2 इंच	सेमर
159	159	03 फुट 9 इंच	03 फीट 11 इंच	बोतल पाम
160	160	05 फुट	04 फीट 1 इंच	बोतल पाम
161	161	08 फुट	03 फीट 8 इंच	बोतल पाम
162	162	04 फुट	03 फीट 2 इंच	बोतल पाम
163	163	07 फुट	04 फीट 2 इंच	बोतल पाम
164	164	08 फुट	04 फीट	बोतल पाम
165	165	06 फुट	04 फीट	बोतल पाम
166	166	08 फुट	05 फीट	बोतल पाम
167	167	08 फुट	04 फीट	बोतल पाम
168	168	08 फुट	05 फीट	बोतल पाम
169	169	04 फुट	04 फीट	बोतल पाम
170	170	03 फुट	03 फीट 6 इंच	बोतल पाम
171	171	07 फुट	04 फीट 7 इंच	बोतल पाम

परिशिष्ट-1  
(शिर्कूल संख्या: 01-B)

8

04 of 04

Bill of Quantity

क्रम सं०	बोटों की संख्या	बोटों की लम्बाई (फुट में)	बोटों की मोटाई एवं गोलाई (फीट एवं इंच में)	लकड़ी की प्रजाति
01	1	5 फीट	5 फीट 6 इंच	शीशाम है।
02	2	4 फीट	5 फीट 8 इंच	शीशाम है।
03	3	5 फीट	4 फीट	शीशाम है।
04	4	5 फीट	4 फीट 8 इंच	शीशाम है।
05	5	5 फीट	4 फीट 2 इंच	शीशाम है।
06	6	6 फीट	3 फीट 2 इंच	शीशाम है।
07	7	5 फीट	3 फीट 2 इंच	शीशाम है।
08	8	5 फीट	2 फीट	शीशाम है।
09	9	5 फीट	2 फीट 4 इंच	शीशाम है।
10	10	5 फीट	2 फीट 6 इंच	शीशाम है।
11	11	4 फीट	3 फीट	शीशाम है।
12	12	5 फीट	3 फीट	शीशाम है।
13	13	5 फीट	2 फीट 10 इंच	शीशाम है।
14	14	8 फीट	1 फीट 6 इंच	शीशाम है।
15	15	7 फीट	2 फीट	शीशाम है।
16	16	4 फीट	3 फीट 2 इंच	शीशाम है।
17	17	6 फीट	4 फीट 2 इंच	शीशाम है।
18	18	5 फीट	2 फीट 8 इंच	शीशाम है।
19	19	6 फीट	2 फीट 10 इंच	शीशाम है।
20	20	5 फीट	4 फीट 11 इंच	शीशाम है।
21	21	6 फीट	4 फीट	शीशाम है।
22	22	5 फीट	2 फीट 2 इंच	शीशाम है।
23	23	4 फीट	3 फीट	शीशाम है।
24	24	4 फीट	2 फीट 6 इंच	शीशाम है।
25	25	4 फीट	2 फीट	शीशाम है।
26	26	5 फीट	5 फीट	शीशाम है।
27	27	5 फीट	5 फीट	शीशाम है।
28	28	6 फीट	2 फीट 10 इंच	शीशाम है।
29	29	6 फीट	5 फीट	शीशाम है।
30	30	7 फीट	1 फुट 8 इंच	शीशाम है।
31	31	5 फीट	6 फीट 6 इंच	शीशाम है।



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर :  
पत्रांक 3915/37-1, दिनांक, गोरखपुर, मार्च, 07/2023

शेता में,

भुलराधिर,  
मदन मोहन भारतीय प्रौद्योगिकी, विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर।

विषय- मदन मोहन भारतीय प्रौद्योगिकी, विश्वविद्यालय परिसर में सूखे गिरे हुए शीशम के वृक्षों के मृत्युदण्ड के नष्टक में।  
संदर्भ- अप्रपत्र पत्रांक-पाठप्रौद्योगिकी/सद्योग-01/1009/2023 दिनांक 13.01.2023

सम्बन्धित संदर्भित विषयगत पत्र के क्रम में विषयगत स्थल मदन मोहन भारतीय प्रौद्योगिकी, विश्वविद्यालय परिसर में सूखे गिरे हुए शीशम के वृक्षों के मृत्युदण्ड निम्नलिखित रैच से कटवाए गए। जिस पर इस प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर द्वारा कार्य चलाया जा चुका है। विषयगत वृक्षों का मृत्युदण्ड धनपत्रांक 34110/- (रुपये बौद्धिक हजार एक सौ सत्तहस्र मात्र) है (किसी वृक्षों के मृत्युदण्ड का मूल्य मूल्यांकन अनुसार निर्धारित है। यदि इन वृक्षों की सूखी शाखाएँ हरी हैं तो प्रौद्योगिकी परिसर में सूखे गिरे हुए शीशम के वृक्षों के मृत्युदण्ड का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	प्रकार	वृक्षों की सं.	मूल्य (₹) में
1	शीशम वृक्ष	31	3110

उपरोक्त वृक्षों के पतन से सम्बन्धित अप्रपत्र (परिसर से बाहर) के जाने से निवृत्त निवृत्त वन विभाग से सम्बन्धित कार्य में लेना अनिवार्य होगा। उन्मापित प्रत्येक वृक्ष के पतन के अनुसार 30 रु. प्रति टन की दर से खर्च का अनुमानित कर रजिस्ट्रेशन शुल्क प्रत्येक वृक्ष के पतन के अनुसार अतिमहान मात्रा निवेश करने को आवश्यकता होगी।

संख्या 3915 अ/सद्योग/दिनांकित।

- प्रतिनिधि- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1-सम्ब प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर का पत्रांक-3915/पत्र दिनांक 23.02.2023
  - 2-गोरखपुर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का पत्रांक-3915/सद्योग दिनांक 23.02.2023

गोरखपुर वन विभाग, गोरखपुर

गोरखपुर वन विभाग, गोरखपुर



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर  
पत्रांक/052/37-1, दिनांक, गोरखपुर, सितम्बर, 01/2021

सेवा में

सुल सचिव  
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
गोरखपुर।

विषय-

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में निर्माणधीन प्रयातनिक भवन कार्य स्थल के  
बुझों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में।

संदर्भ-

आपका पत्रांक-मा0प्रौ0वि/निर्माण/INC 132/182/2021 दिनांक 26.08.2021

संदर्भ-  
संदर्भ

उपरोक्त संदर्भित विषयगत पत्र के क्रम में विषयगत स्थल मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में निर्माणधीन प्रयातनिक भवन कार्य स्थल के बुझों का मूल्यांकन क्षेत्रीय वनाधिकारी, विलम्बित रूप से कराया गया। जिस पर रजम प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर द्वारा अपनी सहमति दी गयी है। विषयगत पत्र के मूल्यांकन संतसाधि 00-25022/- (रिपय) प्रयोग बाजार बाझी मात्र है (केवल राजकीय प्रयोग)। उक्त मूल्यांकन कमतरता है। यदि इन बुझों की खली नीलामी होती है तो प्रतिबुद्ध एवं बाजार मूल्य को इन्हें हुए इतना अधिक मूल्य खाने की सम्भावना है। मूल्यांकन बुझों का विवरण निम्न प्रकार है-

क्रमांक	पञ्जीति	वृक्ष संख्या	घनराशि (कु. मी)
1	मोहनी	07	25022.00
	योग	07	25022.00

उक्त के अतिरिक्त नीलामी के उपरोक्त बुझों के कटवाने एवं उत्पन्नित प्रकार/जलीनी को अन्वय में जाने हेतु क्रेता को नियमानुसार इस कार्यालय से प्रस्तावपत्रित एवं अनुमति प्राप्त प्रोत्त करवा अनिवार्य होगा। जिसके लिए क्रेता को नियमानुसार 100/- प्रति एक को दर से अतिरिक्त/अनुमति शुल्क 1000/- प्रति एक को दर से NSC/अनुमति की घनराशि एवं अतिरिक्त शुल्क एवं उत्पन्नित प्रकार के आयतन के अनुसार निर्धारित कोटेशन शुल्क इस कार्यालय में जमा करना होगा।

सचिव  
(प्रतिनिधि कुमार)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

संख्या 1052  
प्र/उपनाशिली/वि/

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुवनाय एवं आभारपत्र के अन्वय में भेजा जाता है।
- 1-जिला विकास अधिकारी गोरखपुर।
  - 2-रजम प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर।
  - 3-क्षेत्रीय वनाधिकारी गोरखपुर।



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर वन प्रभाग  
पत्रांक 11/37-1, दिनांक, गोरखपुर, अक्टूबर 2021

शुलभाषिण  
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर।

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, गोरखपुर में निम्नलिखित  
बाध्यक कृषि के मूल्यांकन के सम्बन्ध में।

आमंत्रण पत्रांक- शासकीय/निर्माण /INC\_132/221/2021 दिनांक 27/09/2021

उपरोक्त संदर्भित विषयगत कृषि के काम में विभागाध्यक्ष मदन मोहन मालवीय  
विश्वविद्यालय, गोरखपुर निर्माणीय प्रशासनिक मदन कार्यालय कृषि का मूल्यांकन करके

कामों का मूल्यांकन किया जायेगा। जिस पर रसम प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर द्वारा जारी करणनी दी गयी है। विभागाध्यक्ष  
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, गोरखपुर को भेजा जायेगा। यदि इन कृषि को खरीदनी होती है तो प्रतियोगिता पर काका कृषि में प्रवेश करके  
मूल्यांकन किया जायेगा। मूल्यांकन कृषि का विवरण निम्न प्रकार है-

क्रमांक	प्रकार	कृषि क्षेत्र	मूल्य (₹)
1	सातवाण क्षेत्र/मूल्या	11	11000.00
2	खेत क्षेत्र	24	24000.00
3	खेत क्षेत्र	02	2000.00
4	खेत क्षेत्र	01	54639.61
4	खेत क्षेत्र	18 क्षेत्र	54639.68

कृषि के अतिरिक्त नीलाभी के आस-पास कृषि के करवाने एवं सतर्काधिकार प्रकाश/बादल के आस-पास के  
जाने हेतु क्रेता को नियमानुसार इस कार्यालय से पाराना करणनी एवं अनिवार्य पास प्रत्येक कृषि को अनिवार्य होगा। क्रेता को  
लिखित क्रेता को नियमानुसार 100/- प्रति कृषि की दर से आस-पास/अनुमति शुल्क 1000/- की रकम को भेजना  
NSC/जमानत की प्रतिलिपि, धन प्रमाणपत्र/आस-पास प्रकाश के आस-पास के अनुमति प्रमाणपत्र/अनुमति प्रमाणपत्र  
शुल्क इस कार्यालय में जमा करना होगा।

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय  
गोरखपुर

संख्या 1669

अ/उक्तदिनांकित।

- प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचना एवं आदेशक कार्यकारी हेतु प्रेषित।
- 1-रसम प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर।
  - 2-सहायक वनाधिकारी, विलकोनज को-उक्त पत्रांक 10/37 दिनांक 27/09/2021

गोरखपुर



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर  
पत्रांक 4453/37-1 दिनांक, गोरखपुर, मार्च, 15/2022



सेवा में,

कुलसचिव,  
मदन मोहन मालवीय प्राद्योगिकी विश्वविद्यालय  
गोरखपुर।

विषय:- मदन मोहन मालवीय प्राद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर। के परिसर में स्थित विभिन्न प्रजाति के हरे खड़े 30 वृक्षों को काटने की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-मा0प्रौ0वि0/लेखा/120 दिनांक 22.02.2022  
महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण पर क्षेत्रीय वन अधिकारी तिलकोनियों रेंज की जॉच/संस्तुति तथा उप प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर की संस्तुति के आधार पर मदन मोहन मालवीय प्राद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर को 30 वृक्षों के पातन अनुज्ञा के शर्तों के अनुसार बन्धक जमानत की धनराशि एफ0डी0आर0 खाता सं0-40838059114 दिनांक 08.03.2022 मु0 25000/- (रु0 पच्चीस हजार मात्र) एवं एफ0डी0आर0 खाता सं0-40838060312 दिनांक 08.03.2022 मु0 5000/- (रु0 पांच हजार मात्र) द्वारा जमा किया गया है। मदन मोहन मालवीय प्राद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के परिसर में हरे खड़े विभिन्न प्रजाति के 30 वृक्षों को काटने की अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि आप कंटान के पूर्व रु0-100/- प्रति वृक्ष की दर से पातन शुल्क की धनराशि तथा अपना प्रपर्टी घन रजिस्ट्रेशन शुल्क 75/- रुपये की धनराशि आप क्षेत्रीय वनाधिकारी तिलकोनियों के कार्यालय में जमा कर नियमानुसार पातन की कार्यवाही करेंगे।

उक्त वृक्षों को काटने के पश्चात प्रकाष्ठ को ढुलान करने के पूर्व नियमानुसार उत्पादित प्रकाष्ठ फैक्टर के अनुसार 38/- प्रति टन जमा कर अभिवहन पास अलग से लेना अनिवार्य होगा।

भवदीय

(विकास यादव)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

संख्या अ/उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि:-1-क्षेत्रीय वनाधिकारी तिलकोनियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार पातन आवेदन अनुमति शुल्क, घन रजिस्ट्रेशन शुल्क की धनराशि प्राप्त करना सुनिश्चित करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि 30 वृक्षों के अतिरिक्त वृक्षों का पातन न होने पाये। इसकी आड़ में अवैध पातन एवं अवैध प्रकाष्ठ की ढुलान की कोई संभावना न रहे।

प्रतिलिपि:-2-उप प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

समस्त सचिव, सीजेओ सीओ  
गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

20/07/2023

(विकास यादव)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

Supervisor  
for u.a. pl

20/07/2023

# वित्तीय नियम संग्रह खण्ड - 5, भाग-2

प्रपत्र संख्या - 43 ए (1) (प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

## धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार / बैंक का नाम व शाखा

SBI गोरखपुर

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो)

या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम

श्री अशोक कुमार झा  
बिहार - गोरखपुर

प्रभागिक कार्यालय गोरखपुर का प्रभाग - गोरखपुर

2 पता

3 पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम बाद संख्या (यदि आवश्यक हो)

उपरोक्त

4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किसी विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)

उत्प्रेषण संख्या एवं अंश के प्राप्त का राजस्व

का विभाग

5. चालान की सकल राशि

3075/-

6. चालान की निवल राशि

7. लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखा शीर्षक की मुहर

0406-01-800-03-00 उत्प्रेषण संख्या एवं अंश के

8. लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा-शीर्षक उप मुख्य-शीर्षक लघु शीर्षक उप-शीर्षक ब्यौरेकर-शीर्षक धनराशि (शब्दों में)

0	4	0	6	0	1	8	0	0	0	3	0	0	3075/-

धनराशि (शब्दों में) तीन हजार पचहत्तर मात्र।

योग 3075/-

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

नवायु वन अधिकारी


निलंबित बैंक

जमाकर्ता का नाम व मुहर

केवल उपकोषागार बैंक के उपयोग के लिए

चालान संख्या (Lower 7)

दिनांक



3075/-  
तीन हजार पचहत्तर मात्र।

प्राप्त किया



अधिकृत विनामन

**वन विभाग, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर उपप**

3-3 बुक नं० 12534

नं० 56  
दिनांक 21-3-2022

वन प्रभाग गोरखपुर

श्री कुल सचिव मदनमोहन बाबुजीय प्रोद्योगिकी विद्यापीठ गोरखपुर

3075/- तीस हजार पचास रुपया मात्र। - प्राप्त किया।  
रूपया

प्रकृष्ट गोरखपुर के बलान 4453/377-1 दि० 15-3-2022 के अर्थ में  
बाबत 30 हजार के घातन का अनुमति शुल्क 3000=00

दिनांक 3075-0 प्राप्त किया।  
वन सचिव/प्रधान कुल

पद नाम कुल सचिव गोरखपुर

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर-273010

टेण्डर सं०:-मा०प्रौ०वि०/उद्यान-सी०डी०सी०-नीलामी / 152 / 2024

दिनांक: 12-07-24

विषय: सी०डी०सी०/उद्यान अनुभाग के चार्ज में विभिन्न प्रजाति के 25 सूखे/गिरे वृक्षों के 171 बोटो (संलग्न परिशिष्ट-1-A) तथा 03 शीशम के वृक्षों के 31 बोटों (संलग्न परिशिष्ट-1-B) जिनकी खुली नीलामी की अनुमति कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर के पत्रांक: 1664/37-1 दिनांक: 01 अक्टूबर, 2021 पत्रांक: 1052/37-1 दिनांक : 01 सितम्बर, 2021 तथा पत्रांक: 3915/37-1 दिनांक: 02 मार्च, 2023 द्वारा प्रदान कर दी गई है, जो कि खुली नीलामी "जहाँ है, जैसा है/As is, where is" के आधार पर विश्वविद्यालय के निष्प्रयोज्य समिति/स्कैप मूल्यांकन समिति की देख-रेख में किये जाने विषयक।

### नीलामी से सम्बंधित नियम एवं शर्तें-

1. स्थलीय नीलामी की समस्त कार्यवाही निष्प्रयोज्य समिति एवं स्कैप मूल्यांकन समिति की देखरेख में दिनांक ~~30-7-24~~ को पूर्वाहन : 11:00 बजे से विश्वविद्यालय परिसर में स्थित ओल्ड प्रशासनिक भवन स्थित सरस्वती लॉन में संचालित की जायेगी।
2. नीलामी खुली स्थलीय नीलामी के आधार पर परिशिष्ट-1 के शिडयूल स०-1-A एवं 1-B के समस्त वृक्षों कुल 28 वृक्षों के कुल 202 अदद सागौन,सेमर एवं बोटल पाम एवं शीशम के बोटों हेतु अधिकतम बोली के 07 चकों में प्राप्त/ उद्धृत अधिकतम मूल्यों के आधार पर समग्र रूप से एक साथ सभी बोटों हेतु की जायेगी एवं नीलामी का कुल मूल्य निर्धारण करते हुए किया जायेगा।
3. स्थलीय खुली नीलामी में दिनांक ~~30-7-24~~ को पूर्वाहन:11:00 बजे निष्प्रयोज्य समिति द्वारा उन्हीं बिडर्स/बोलीकर्ताओं को प्रतिभाग करने की अनुमति प्रदान की जायेगी, जिन्होंने टेण्डर पुस्तिका का क्य रु 5,000.00 (नान रिफन्डेबल)मूल्य वित्त नियंत्रक कार्यालय में अन्तिम तिथि/दिनांक ~~29-7-24~~ के साथ 04:30 बजे के पूर्व जमा करते हुए उक्त टेण्डर पुस्तिका के साथ संलग्न परिशिष्ट-3 पर अपनी समस्त प्रविष्टियां एवं अपना आधार कार्ड अथवा अन्य समकक्ष फोटो पहचान पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति नीलामी स्थल पर निष्प्रयोज्य समिति के आकलन हेतु प्रस्तुत की होगी।
4. समस्त प्रतिभागियों/ बिडर्स/बोलीकर्ताओं द्वारा परिशिष्ट-3 पर संलग्न फार्म पर 07 चकों में लगाई गई अपनी-अपनी अधिकतम बोली/मूल्य अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अंकित करके अध्यक्ष, निष्प्रयोजन/स्कैप मूल्यांकन समिति को नीलामी के तत्काल उपरान्त हस्तगत कराना अनिवार्य होगा।
5. उपरोक्त क्रमांक-4 के अनुसार नीलामी कार्य सम्पन्न होने एवं बोलीकर्ताओं द्वारा परिशिष्ट-3/मूल्य-पत्र हस्तगत कराने के उपरान्त सदस्य-सचिव/ कन्वीनर, निष्प्रयोज्य/स्कैप मूल्यांकन समिति द्वारा परिशिष्ट-4 पर संलग्न संस्तुति/उदघोषणा-पत्र भर कर निष्प्रयोज्य/स्कैप मूल्यांकन समिति के सदस्यों एवं अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार एवं संस्तुति प्राप्त करने के बाद उक्त खुली-स्थलीय नीलामी में प्रतिभागी समस्त बोलीकर्ताओं/बिडर्स में से ओवरऑल (समग्र) रूप से उद्धृत की गयी बोलीकर्ता के द्वारा उद्धृत अधिकतम/सर्वोच्च नीलामी मूल्य के आधार पर संस्तुति प्रदान की जायेगी।
6. समस्त उपस्थिति बिडर्स/बोलीकर्ताओं द्वारा परिशिष्ट-1 के शिडयूल स०-1-A एवं 1-B में दर्शाये गये समस्त 202 अदद बोटो हेतु एक साथ 07 चकों में बोली लगाना एवं उक्त की प्रविष्टि परिशिष्ट-3 पर संलग्न फार्म पर भरकर हस्ताक्षरोपरांत निष्प्रयोज्य/स्कैप मूल्यांकन समिति को तत्काल नीलामी स्थल पर ही हस्तगत कराना अनिवार्य होगा। यदि उक्त नियम का पालन बिडर्स/बोलीकर्ताओं द्वारा नहीं किया जाता है तो उक्त बोलीकर्ता की बोली पर कोई विचार नहीं किया जाएगा उक्त उसकी बोली एवं नीलामी में सहभागिता अमान्य कर दी जायेगी।

7. परिशिष्ट-4 पर संलग्न नीलामी अधिकतम मूल्य-पत्र फार्म पर निष्प्रयोज्य/स्कैप मूल्यांकन समिति संस्तुति-पत्र जारी करने के उपरान्त 07 चक्रों में सर्वोच्च बोली/नीलामी मूल्य का 25% धनराशि, धरोहर धनराशि के रूप में सम्बंधित संस्तुति किये गये बोलीकर्ता/बिडर को विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक कार्यालय के सहयोग से विश्वविद्यालय-कोष/खाते में नीलामी वाले दिन, दिनांक 30-7-24 को जमा करना अनिवार्य होगा। यदि वह ऐसा करने में असफल होता है तो उस बिडर के पक्ष में प्रदान की गई संस्तुति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
8. सम्बंधित संस्तुत बोलीकर्ता/बिडर द्वारा कुल नीलामी-मूल्य का शेष 75% धनराशि मूल्य Letter of Intent (Form-4) जारी होने के 03 कार्य दिवसों के अन्दर वित्त नियंत्रक कार्यालय के सहयोग से विश्वविद्यालय को जमा कराना अनिवार्य होगा।
9. समस्त नीलामी कार्य एवं नीलामी मूल्य का प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन का अधिकार मा० कुलपति महोदय के अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत मान्य, बाध्यकारी तथा निहित होगा एवं मा० कुलपति महोदय को इन्टरटेण्डर को आंशिक अथवा पूर्णतया स्वीकृत अथवा अस्वीकृत अथवा विश्वविद्यालय कार्य-हित में परिमार्जित करने का अधिकार होगा जो समस्त पक्षों को मान्य होगा।
10. बोली लगाने वाले व्यक्ति यदि निर्धारित शर्तों को पूर्ण नहीं करता है अथवा विश्वविद्यालय का कोई नियम भंग करता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा-185 के अंतर्गत अभियोजन के लिए उत्तरदाई होगा।
11. परिशिष्ट-1 के शिड्यूल स०-1-A एवं 1-B में दर्शाये गये नीलामी से आच्छादित 28 अदद वृक्षों के कुल 202 अदद बोटों को आदेशित क्रेता/बोलीकर्ता/बिडर द्वारा अन्यत्र ले जाने हेतु कार्यालय: प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर के पत्रांक : 1664/37-1 दिनांक: 01 अक्टूबर, 2021 एवं पत्रांक 1052/37-1 दिनांक : 01 सितम्बर, 2021 में विहित आदेश के क्रम में कार्यालय: प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर के पत्रांक : 4453/37-1 दिनांक: 15 मार्च, 2022 में विहित निर्देशानुसार वन विभाग, गोरखपुर द्वारा विश्वविद्यालय को प्रदान की गई 30 वृक्षों के पातन अनुज्ञा की शर्तों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा जमा की गई बन्धक जमानत की धनराशि एफ० डी० आर० खाता संख्या-40838059114 दिनांक 08.03.2022 मु० 25,000/- (पच्चीस हजार रु मात्र) एवं एफ० डी० आर० खाता संख्या-40838060312 दिनांक 08.03.2022 मु० 5,000/- (पांच हजार रु मात्र) विश्वविद्यालय द्वारा जमा कर दिये जाने के फलस्वरूप तथा 30 वृक्षों को काटने की अनुमति इस शर्त पर प्रदान की गई है कि विश्वविद्यालय द्वारा इन वृक्षों के कटान के पूर्व रु 100/- प्रति वृक्ष की दर से पातन शुल्क की धनराशि तथा अपना प्रापर्टी धन रजिस्ट्रेशन शुल्क 75/- रु की धनराशि क्षेत्रीय वन अधिकारी, तिलकोनिया में जमा करें।
- उपरोक्त के अनुपालन में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2 प्रपत्र सं०-43ए (1) (प्रस्तर-417 एवं 478) कोषागार के प्रपत्र-209(1) पर विश्वविद्यालय द्वारा रु 3,075/- प्रत्येक एवं अन्य श्रोतों का राजस्व शुल्क प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर महोदय के पत्रांक: 4453/37-1 दिनांक 15.03.2022 के क्रम में 30 वृक्षों के पातन का अनुमति शुल्क रु 3,000/- + घन रजिस्ट्रेशन शुल्क रु 75/- = कुल रु 3,075/- वन विभाग गोरखपुर मंडल, गोरखपुर, उ०प्र० में जमा करते हुए उनके द्वारा जारी रसीद सं० E-3 बुक न०- 1253 न०-58 दिनांक 21.03.2022 द्वारा विश्वविद्यालय के कुल 28 वृक्षों का पातन के उपरान्त बोटे विश्वविद्यालय नीलामी की अनुमति से यह नीलामी से आच्छादित है, जिनके व्यय भुगतान संस्तुत क्रेता/ बोलीकर्ता द्वारा कुल रु 33,075/- विश्वविद्यालय को (नीलामी-मूल्य के अतिरिक्त) तथा विश्वविद्यालय द्वारा उक्त वृक्षों के कटान एवं बोटों के बनाने में किये गये व्यय रु 55,000/- एवं उक्त बोटों के विश्वविद्यालय परिसर सुरक्षित ढुलाई में किये गये व्यय रु 40,000/- का भुगतान (नीलामी-मूल्य के अतिरिक्त) बिडर द्वारा वित्त नियंत्रक कार्यालय के माध्यम से विश्वविद्यालय कोष में जमा करते हुए नियमानुसार, अभिवहन पास वन विभाग, गोरखपुर से अपने व्यय पर प्राप्त करने के उपरान्त ही समस्त 202 बोटों की ढुलाई करके अर्पण गन्तव्य पर ले जाना अनिवार्य होगा।



12. पूर्ण नीलामी मूल्य एवं अन्य उपरोक्त कमांक-11 के अनुसार निर्दिष्ट राजस्व सम्बंधित देयकों का भुगतान क्रेता बिडर द्वारा शत-प्रतिशत कर दिये जाने एवं वन विभाग, गोरखपुर से अभिवहन पास क्रेता द्वारा अपने व्यय पर प्राप्त करने के उपरान्त ही कुलसचिव द्वारा जारी गेट पास पर समस्त 202 बोटो को अपने गन्तव्य पर क्रेता द्वारा ले जाया जायेगा।
13. यदि आदेशित बिडर/बोलीकर्ता निर्धारित समय के भीतर सर्वोच्च नीलामी बोली की 25% धनराशि धरोहर धनराशि के रूप में उसी दिन एवं शेष 75% शेष नीलामी मूल्य धनराशि तथा वन विभाग, गोरखपुर द्वारा उनके पक्ष में जारी अभिवहन पास नीलामी आदेश जारी होने के 10 कार्यकारी दिवसों के भीतर नहीं जमा करता है तो उक्त परिस्थितियों में उसके द्वारा जमा धरोहर धनराशि जब्त करते हुए एवं उसके पक्ष में नीलामी-आदेश निरस्त करने हेतु विश्वविद्यालय अधिकृत होगा।
14. निविदा-प्रपत्र पुस्तिका का मूल्य, धरोहर धनराशि, नीलामी मूल्य विश्वविद्यालय द्वारा 28 वृक्षों के पातन पर किये गये व्यय एवं जी0एस0टी0 इत्यादि का भुगतान क्रेता/बिडर द्वारा वित्त नियंत्रक कार्यालय के माध्यम से विश्वविद्यालय कोष में जमा करना अनिवार्य होगा एवं तदोपरांत प्रभारी, वनाधिकारी वन प्रभाग, गोरखपुर द्वारा निर्गत अभिवहन पास विश्वविद्यालय में कुलसचिव कार्यालय को जमा कर देने के उपरांत ही विश्वविद्यालय द्वारा आदेशित क्रेता/बोलीकर्ता/बिडर के पक्ष में गेटपास जारी किया जायेगा।
15. नीलामी-मूल्य का शत-प्रतिशत भुगतान हो जाने एवं गेट पास जारी होने के 10 दिनों के भीतर आदेशित लकड़ी के बोटों को क्रेता बिडर द्वारा अपने गन्तव्य पर अपने व्यय पर ले जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में बोटो के लाट की अभिरक्षा हेतु 1% प्रतिदिन की दर से विक्रय मूल्य पर अतिरिक्त प्रभार नीलामी हेतु संस्तुत/आदेशित व्यक्ति द्वारा विश्वविद्यालय के वित्त अनुभाग में करना अनिवार्य होगा।
16. किसी मतभेद की स्थिति में मा0 कुलपति महोदय द्वारा नामित व्यक्ति अथवा कुलसचिव महोदय द्वारा पंचाट किया जायेगा, जिसका निर्णय उभय पक्षों को मान्य होगा।
17. किसी मुकदमें की स्थिति में वाद संस्थित करने का क्षेत्राधिकार गोरखपुर जनपद सिविल कोर्ट में निहित होगा।
18. टेण्डर के किसी भी नियम को शिथिल करने, स्वीकार करने, परिमार्जित करने अथवा पूर्णतया विश्वविद्यालय कार्य-हित में निरस्त करने का अधिकार मा0 कुलपति महोदय में निहित होगा।
19. कुलसचिव महोदय द्वारा गेट-पास जारी कर दिये जाने के उपरान्त ही 202 बोटो प्रभारी, उद्यान/सी0डी0सी0 द्वारा आदेशित क्रेता/बिडर को हस्तगत कराना अनिवार्य होगा।

कुलसचिव

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर-273010

28 वृक्षों के 202 अदद बोटो (परिशिष्ट-1 के शिडयूल स0-1- A एवं 1-B) की खुली एवं स्थलीय नीलामी के दिन दिनांक .....  
..... को बोलीकर्ता/बिडर/केता द्वारा भर कर दिया जाने वाला फार्म-

सेवा में,

अध्यक्ष, निष्प्रयोज्य समिति/स्कैप मूल्यांकन समिति  
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर।

विषय: विश्वविद्यालय की निविदा सं0 मा0मो0मा0प्रौ0वि0/उद्यान-सी0डी0सी0-नीलामी/ /2024 दिनांक..... के अंतर्गत  
सी0डी0सी0/उद्यान अनुभाग के परिशिष्ट-1 के शिडयूल स0-1- A एवं 1-B में दर्शाये गये शीशम,सागौन, सेमर एवं बोटल पाम के  
कुल 28 वृक्षों के 202 अदद विभिन्न साइजों के लकड़ी के बोटो को 'जहां है जैसा है'(As is Where is) के आधार पर नीलामी की  
उच्चतम बोली लगाये जाने/दर उद्धरित करने सम्बंधित प्रतिभागी व्यक्ति/बिडर/बोलीकर्ता द्वारा दिया गया घोषणा-पत्र।

महोदय,

कृपया, उपरोक्त विषयक प्रार्थी निम्नलिखित सहमति पूरे होशोहवास में शुद्धचित्त से प्रदान करता है/हूँ-

1. प्रार्थी (पूरा नाम एवं पहचान पत्र पर अंकित पता).....  
.....पुत्र/पति (पिता  
अथवा पति का नाम): श्री/मेसर्स.....  
जनपद.....का निवासी हूँ/है। प्रार्थी की आयु .....वर्ष है।
2. प्रार्थी उपरोक्त निविदा के अंतर्गत परिशिष्ट-1 पर दर्शाये गए शिडयूल स0-1- A एवं 1-B की नीलामी एक मुश्त एवं समग्र  
रूप से कुल 202 बोटों को कय करने का इच्छुक हूँ/है।
3. प्रार्थी ने उक्त निविदा से सम्बंधित परिशिष्ट-2 पर अंकित समस्त नियम एवं शर्तों का भली-भांति अध्ययन कर लिया है एवं  
लकड़ी के बोटों का मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण नीलामी से पूर्व कर लिया है और हर प्रकार से संतुष्ट होकर  
परिशिष्ट-2 पर उल्लिखित एवं निर्दिष्ट नीलामी से सम्बंधित निर्धारित नियम एवं शर्तों को पूर्ण करते हुए खरीदने की  
सहमति जहां है जैसा है'(As is Where is) के आधार पर प्रदान करता हूँ/है।
4. प्रार्थी को निविदा से सम्बंधित समस्त नियम एवं शर्तें मान्य है और उन्हें पूर्ण करने का वचन देता/देती हूँ।
5. प्रार्थी वन विभाग,गोरखपुर के उपरोक्त पत्रांको के अनुसार समस्त व्यय स्वयं करते हुए अभिवहन पास वन विभाग,गोरखपुर  
से अपने व्यय पर जारी करवा कर यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगा एवं विश्वविद्यालय द्वारा किये गए व्यय पातन शुल्क रु 30,000/-  
+घन रजिस्ट्रेशन शुल्क रु 3,075/- कुल रु 33,075/- तथा विश्वविद्यालय द्वारा उक्त वृक्षों के कटान एवं बोटों के बनाने  
में किये गए व्यय रूपये 55,000.00 एवं उक्त बोटों के विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षित ढुलाई में किये गए व्यय रूपये  
40,000.00 अर्थात् कुल रूपये (30,000.00+3,075+55,000.00+40,000.00) रूपये 1,28,075.00(एक लाख अट्ठाइस हजार  
पचहत्तर रूपये मात्र) की प्रतिपूर्ति का भुगतान विश्वविद्यालय को करना सुनिश्चित करेगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा गेट पास  
जारी करने के पूर्व वित्त नियंत्रक कार्यालय के माध्यम से उक्त धनराशि विश्वविद्यालय कोष में जमा करने का वचन देता  
हूँ।
6. प्रार्थी द्वारा नियम एवं शर्तों के अनुसार कुल नीलामी-मूल्य का 25% धरोहर धनराशि रु .....(अंको में) रु.....  
.....(शब्दों में)+जी0एस0टी0 अतिरिक्त नीलामी तिथि को ही अध्यक्ष, निष्प्रयोज्य समिति द्वारा  
फार्म-4 पर Letter of Intent प्रदान करते ही 02 घण्टे के भीतर अवश्य जमा कर दिया जायेगा।



7. नीलामी आदेश जारी हो जाने के उपरान्त मेरे द्वारा नीलामी मूल्य का शेष 75% धनराशि रु .....  
(अंको में) रु ..... (शब्दों में) + जी०एस०टी० अतिरिक्त भी 10 दिनों के भीतर विश्वविद्यालय कोष में जमा करने का वचन देता हूँ।
8. प्रार्थी/बोलीकर्ता/बिडर/केता परिशिष्ट-1 के शिडयूल स०-1-A एवं 1-B में दर्शाये गये 28 वृक्षों के 202 अदद बोटो को एक मुश्त एवं समेकित रूप से नीलामी में एक साथ खरीदने हेतु निम्न बोली लगा रहा हूँ।
- (i) प्रथम बोली की धनराशि  
रु ..... (अंको में) रु ..... (शब्दों में)
- (ii) द्वितीय बोली की धनराशि  
रु ..... (अंको में) रु ..... (शब्दों में)
- (iii) तृतीय बोली की धनराशि  
रु ..... (अंको में) रु ..... (शब्दों में)
- (iv) चतुर्थ बोली की धनराशि  
रु ..... (अंको में) रु ..... (शब्दों में)
- (v) पंचम बोली की धनराशि  
रु ..... (अंको में) रु ..... (शब्दों में)
- (vi) छठी बोली की धनराशि  
रु ..... (अंको में) रु ..... (शब्दों में)
- (vii) सप्तम बोली की धनराशि  
रु ..... (अंको में) रु ..... (शब्दों में)
9. बोलीकर्ता/प्रतिभागी व्यक्ति का नाम ..... पुत्र/पति (पिता अथवा पति का नाम): श्री/मेसर्स .....  
पता ..... जनपद ..... का निवासी हूँ/है।  
मोबाइल सं०/दूरभाष सं० .....  
संलग्नक: पहचान पत्र की छायाप्रति संलग्न है।
- बोलीकर्ता/प्रतिभागी बिडर के हस्ताक्षर .....  
दिनांक .....

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर-273010

पत्रांक:मा0प्रौ0वि0/उद्यान-सी0डी0सी0-नीलामी/ 152/2024

दिनांक: 12-07-2024

सेवा में,  
कुलसचिव,  
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर।

विषय: उद्यान अनुभाग/ सी0डी0सी0 के 28 वृक्षों के 202 शीशम,सागौन, सेमर एवं बोटल पाम प्रजाति के बोटो ( निविदा सं0-मा0प्रौ0वि0/उद्यान-सी0डी0सी0-नीलामी/ 152/2024 दिनांक 12-7-24 के परिशिष्ट-1 के शिडयूल स0-1-A एवं 1-B की खुली नीलामी से सम्बंधित उद्धृत अधिकतम बोली/दरों का निष्प्रयोज्य समिति/स्कैप मूल्यांकन समिति द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र/उद्घोषणा-पत्र/Letter of Intent

महोदय,

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त निविदा के अधीन कुल .....व्यक्तियों/केता/बोलीकर्ताओं जिनके नाम,पता एवं 07चक्रों में लगाई/उद्धृत की गयी बोली/नीलामी मूल्य परिशिष्ट-3 पर अवलोकनार्थ संलग्न है,प्रतिभागियों द्वारा आज दिनांक: 30-7-24 को परिशिष्ट-1 पर दर्शाये गए उपरोक्त विषयक शिडयूल स0-1-A एवं 1-B के उपरोक्त 202 अदद विभिन्न प्रजातियों के लकडी के बोटों के लाट्स की बोली हमारे सामने जहां है जैसा है (As is Where is) के आधार पर निम्नवत् लगाई/ उद्धृत की गयी:-

- 1- प्रथम चरण की अधिकतम बोली रु..... (अंको में) रु.....  
.....(शब्दों में)  
प्रथम चरण की अधिकतम बोली लगाने वाले बोलीकर्ता/बिडर का नाम एवं पता.....
- 2- द्वितीय चरण की अधिकतम बोली रु..... (अंको में) रु.....  
.....(शब्दों में)  
द्वितीय चरण की अधिकतम बोली लगाने वाले बोलीकर्ता/बिडर का नाम एवं पता.....
- 3- तृतीय चरण की अधिकतम बोली रु..... (अंको में) रु.....  
.....(शब्दों में)  
तृतीय चरण की अधिकतम बोली लगाने वाले बोलीकर्ता/बिडर का नाम एवं पता.....
- 4- चतुर्थ चरण की अधिकतम बोली रु..... (अंको में) रु.....  
.....(शब्दों में)  
चतुर्थ चरण की अधिकतम बोली लगाने वाले बोलीकर्ता/बिडर का नाम एवं पता.....
- 5- पंचम चरण की अधिकतम बोली रु..... (अंको में) रु.....  
.....(शब्दों में)  
पंचम चरण की अधिकतम बोली लगाने वाले बोलीकर्ता/बिडर का नाम एवं पता.....

- 6- षष्ठी चरण की अधिकतम बोली रू..... (अंको में) रू.....  
 .....(शब्दों में)  
 षष्ठी चरण की अधिकतम बोली लगाने वाले बोलीकर्ता/बिडर का नाम एवं पता.....
- 7- सप्तम चरण की अधिकतम बोली रू..... (अंको में) रू.....  
 .....(शब्दों में)  
 सप्तम चरण की अधिकतम बोली लगाने वाले बोलीकर्ता/बिडर का नाम एवं पता.....
- उपरोक्त सातों चरणों के उपरान्त बोलीकर्ता/बिडर श्री/श्रीतती/मेसर्स..... की बोली समग्र एवं एकमुश्त रूप में रू..... पुत्र: श्री..... सर्वोच्च पायी गयी ।

समिति सर्वसम्मति से श्री.....को कुल नीलामी मूल्य रू .....(अंको में) रू.....(शब्दों में) में परिशिष्ट-1 पर दर्शाये गये शिडयूल स0-1-A एवं 1-B की विभिन्न प्रजातियों के 202 अदद लकड़ियों के बोटों को 'जहां है जैसा है' (As is Where is) के आधार पर इस प्रतिबंध सहित नीलामी द्वारा विक्रय किये जाने की संस्तुति समिति प्रदान करती है, कि उक्त श्री..... द्वारा कुल नीलामी मूल्य का 25% धनराशि रू .....(अंको में)रू.....(शब्दों में) (GST अतिरिक्त) आज ही वित्त नियंत्रक कार्यालय से सम्पर्क करके विश्वविद्यालय कोष में सम्बंधित मद में धरोहर धनराशि के रूप में जमा करना सुनिश्चित करें एवं शेष 75% नीलामी मूल्य रू..... (अंको में) रू.....(शब्दों में)(GST अतिरिक्त) नीलामी-आदेश जारी हो जाने के 10 दिनों के भीतर विश्वविद्यालय कोष में अवश्य जमा कर दें, तदोपरांत विश्वविद्यालय द्वारा पातन परमिट अनुज्ञा शुल्क से सम्बंधित किये गये व्यय रू 30,000/- तीस हजार रू मात्र तथा नियम एवं शर्तें क्रमांक :11 के अनुपालन में पातन अनुमति/घन रजिस्ट्रेशन शुल्क रू 3,075/- अर्थात कुल धनराशि रू 33,075/-+ तथा विश्वविद्यालय द्वारा उक्त वृक्षों के कटान एवं बोटों के बनाने में किये गए व्यय रूपये 55,000.00 एवं उक्त बोटों के विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षित ढुलाई में किये गए व्यय रूपये 40,000.00 अर्थात कुल रूपये (30,000.00+3,075+55,000.00+40,000.00) रूपये 1,28,075.00(एक लाख अठ्ठाइस हजार पचहत्तर रूपये मात्र) जी0एस0टी0 अतिरिक्त की धनराशि नीलामी-आदेश जारी होने के 03 दिनों के भीतर क्रेता/बिडर/बोलीकर्ता श्री ..... द्वारा विश्वविद्यालय के वित्त अनुभाग के माध्यम से विश्वविद्यालय कोष में निविदा की समस्त नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए जमा करना अनिवार्य होगा ।

उपरोक्त के अतिरिक्त निविदा की नियम एवं शर्तें-क्रमांक: 12 के अनुपालन में क्रेता द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर कार्यालय-प्रभागीय वन अधिकारी, गोरखपुर से नियमानुसार अभिवहन पास प्राप्त करके विश्वविद्यालय को हस्तगत कराने के उपरान्त ही बिडर/बोलीकर्ता के पक्ष में कुलसचिव महोदय द्वारा गेट-पास निर्गत किया जायेगा ।

निष्प्रयोज्य समिति की संस्तुति:

## स्कैप मूल्यांकन समिति की संस्तुति



श्री मनोज बालोनी  
सहायक लेखाकार  
पत्रांक:मा0प्रौ0वि/वित्त/INC-112  
247/2024 दिनांक:27.03.2024  
द्वारा वित्त नियंत्रक के नामित प्रतिनिधि

श्री जगदीश सिंह  
स्टोरकीपर  
सदस्य-सचिव/कच्चीनर  
निष्प्रयोज्य/स्कैप मूल्यांकन समिति

प्रो श्री राम  
अध्यक्ष, निष्प्रयोज्य/स्कैप मूल्यांकन समिति

वित्त नियंत्रक  
प्रति हस्ताक्षरित

कुलसचिव  
प्रति हस्ताक्षरित

पृष्ठ0स0 व दिनांक: उपरोक्त।

प्रतिलिपि: सादर सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. वै0 स0 कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।
02. डा0 अमित कुमार बरनवाल, सह अधिष्ठाता, उद्यान एवं परिसर विकास प्रकोष्ठ को इस अनुरोध सहित सूचनार्थ प्रेषित कि निविदा के नियमानुसार, आदेशित बिडर द्वारा नीलामी मूल्य शत-प्रतिशत विश्वविद्यालय कोष में जमा कर देने एवं कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन विभाग, गोरखपुर के पत्रांक: 3915/37-1 दिनांक: 02 मार्च, 2023, पत्रांक: 1664/37-1 दिनांक: 01 अक्टूबर, 2021, पत्रांक: 1052/37-1 दिनांक: 01 सितम्बर, 2021 तथा पत्रांक: 4453/37-1 दिनांक: 15 मार्च, 2022 के क्रम में पातन अनुज्ञा की शर्तों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जमा बन्धक जमानत की धनराशि FDR खाता स0-40838059114, दिनांक: 08.03.2022, मु0 रू 25,000/- (पच्चीस हजार रू मात्र) एवं FDR खाता स0-40838060312, दिनांक: 08.03.2022, मु0 रू 5,000/- (पांच हजार रू मात्र) को नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त बन्धक अवमुक्त (Revoke) कराते हुए विश्वविद्यालय कोष में जमा करवाना सुनिश्चित करें एवं आदेशित बिडर, द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, गोरखपुर से प्रकाष्ठ को डुलान कराने के पूर्व नियमानुसार आदेशित बिडर द्वारा उत्पादित प्रकाष्ठ (नीलामी से अच्छादित 202 अदद बोटों) के फ़ैक्टर के अनुसार रू 38/- प्रति टन जमा कर, अभिवहन पास निर्गत हो जाने एवं तदक्रम में कुलसचिव महोदय द्वारा अधिकारिक स्तर से गेट पास जारी कर दिये जाने के उपरान्त ही बिडर को शिडयूल स0-1-A एवं 1-B का प्रकाष्ठ (202 अदद बोटों) हस्तगत कसना सुनिश्चित करें।
03. कुलसचिव महोदय को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु इस अनुरोध के सहित प्रेषित कि उक्त आदेशित बिडर/बोलीकर्ता/केता द्वारा इस Letter of Intent की समस्त शर्तों एवं प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के



उपरांत ही उनके पक्ष में नियमानुसार सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदनोपरांत ही वित्त नियंत्रक महोदय द्वारा हस्तांतरित नीलामी-आदेश उक्त क्रेता/बिडर के पक्ष में जारी करवाने की सादर कृपा करें।

04. वित्त नियंत्रक महोदय को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित कि कृपया तदक्रम में सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करने के उपरांत उक्त क्रेता/बिडर के पक्ष में रु 100/- के नान जुडिशियल स्टैम्प पर एग्रीमेंट हस्ताक्षरित करवाने के उपरांत ही नीलामी आदेश जारी करने की कृपा करें।
05. भण्डार अधिकारी महोदय को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
06. श्री जगदीश सिंह, स्टोरकीपर/सदस्य-सचिव/कन्वीनर, निष्प्रयोज्य समिति/स्कैप मूल्यांकन समिति को सूचनार्थ एवं नीलामी की निविदा की नियम एवं शर्तों के अनुसार ही गेट पास बनाकर कुलसचिव महोदय से हस्ताक्षरोपरांत जारी करने हेतु प्रेषित।
07. श्री/श्रीमती/मे०.....(नाम एवं पूर्ण पता) को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध सहित कि, कृपया निविदा से सम्बंधित परिशिष्ट-2 पर अंकित नियम एवं शर्तों के अनुसार, समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत प्रभागीय वन अधिकारी, गोरखपुर से नियमानुसार अभिवहन पास अपने स्तर से जारी करवाने के उपरांत कुलसचिव कार्यालय में 01 प्रति हस्तगत करवाने के उपरांत गेट पास पर सह अधिष्ठाता, उद्यान/परिसर विकास प्रकोष्ठ से शिडयूल स०-1-A एवं 1-B का प्रकाष्ठ (202 अदद बोटों) प्राप्त करके अपने गन्तव्य स्थल पर 02 सप्ताह के भीतर ले जाना सुनिश्चित करें।
08. प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर, वन प्रभाग, गोरखपुर महोदय को उनके पत्रांक:3915/37-1 दिनांक: 02 मार्च, 2023, पत्रांक:1664/37-1 दिनांक: 01 अक्टूबर, 2021, पत्रांक:1052/37-1 दिनांक: 01 सितम्बर, 2021 तथा पत्रांक: 4453/37-1 दिनांक: 15 मार्च, 2022 के क्रम में सादर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध सहित कि, कृपया विश्वविद्यालय द्वारा पातन की अनुज्ञा शर्तों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जमा बन्धक जमानत की धनराशि FDR खाता स०-40838059114, दिनांक: 08.03.2022, मु० रु 25,000/- (पच्चीस हजार रु मात्र) एवं, FDR खाता स०-40838060312, दिनांक: 08.03.2022, मु० रु 5,000/- (पांच हजार रु मात्र) को विश्वविद्यालय के पक्ष में बन्धक अवमुक्त (Revoke) करते हुए आदेशित बिडर द्वारा नियमानुसार आवेदन करने पर उसके पक्ष में निर्धारित अभिवहन पास यथाशीघ्र जारी करने की सादर अनुकम्पा करें।
09. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, म०म०मा०इन्जी० कॉलेज, गोरखपुर, सम्प्रति मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर महोदय को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा०/प्र० श्रीराम)

अध्यक्ष, निष्प्रयोजन समिति/स्कैप मूल्यांकन समिति  
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर, उ०प्र० -273010